न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0 न0 20/19

तारीखरजू:—29.04.2019

उनवान:— घनश्याम बनाम नथौली वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनांक	फर्द अहकाम	
29.4.19	प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री रामअवतार शर्मा हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य की असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि आगामी पेशी दिनांक 27/05/2019 तक विवादग्रस्त आराजी ख0न0 324/890 रकवा 0.23 है0, ख0न0 457 रकवा 0.27 है0, ख.न. 465 रकवा 0.07 है0 , ख.न. 466 रकवा 0.03 है0 ख.न. 467 रकवा 1.19 है0, ख0न0 468 रकवा 0.17 है0, 469/0.14 है0, ख.न.470 रकवा 0.01है0, ख.न. 515/906 रकवा 0.14 है. ख.न. 533 रकवा 0.19 है. कुल किता 10 रकवा 2.44 है0 ग्रम राजौर तहसील टोडाभीम जिला करौली मे किसी तरह से रास्ता नही निकाले व भूमि का वेस्ट डेमेज नही करने के आदेश दिए जाते है। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वत: निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 27.05.2019 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम जिला करौली	1534-37 29/4/19

Signature Not Verified

Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 11:52:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौ[illegible]

दिनांक	फर्द अहकाम
27.5.19	प्रार्थी वकील उप०/ अप्रार्थी नं. 1 व 2 स्वयं उपस्थित मूल दावा में जवाब पेश कर दिया है अप्रार्थी नं. 3 की रसीद प्राप्त हो चुकी है बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है अप्रार्थी नं. 4 ने मूल दावा में वकालतनामा पेश कर उपस्थिति दर्ज कराई। वकालतनामा व जवाब पेश करने दिनांक 21.6.19 को पेश हो।
सत्यनारायण की रपे रमेशनलाल	
21.6.19	वकुलाम उप०/ जवाब पेश करने दिनांक 22.7.19 को पेश हो।
22.7.19	वकुलाम उप०/ जवाब पेश करने दिनांक 22.8.19 को पेश हो।
22.8.19	प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी वकील उपस्थित नहीं है कई बार आवाज दिलवाई गई फिर भी अप्रार्थी वकील एवं अप्रार्थीगण में से कोई भी उपस्थित नहीं है अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रार्थी वकील ने बहस करते हुए कथन किया कि दिनांक 29.4.19 को जारी की गई अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को दावा के फैसला होने तक कन्फर्म कर दिया जावे। प्रार्थी वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। [illegible] 29.4.19 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] फैसला कन्फर्म किया जाना उचित [illegible] दिनांक 29.4.19 को जारी की गई अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को दावा के निस्तारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 11:52:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

तक कन्फर्म किया जाता है। अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम राजौर स्थित भूमि खसरा नम्बर 324/890 रकबा 0.23 है०, 457 रकबा 0.27 है०, 465 रकबा 0.07 है०, 466 रकबा 0.03 है०, 467 रकबा 1.19 है०, 468 रकबा 0.17 है०, 469 रकबा 0.14 है० 470 रकबा 0.01 है०, 515/906 रकबा 0.14 है०, 533 रकबा 0.19 है० कुल किता 10 कुल रकबा 2.44 है० में किसी तरह सेरास्ता नहीं निकाले व भूमि का वेस्ट डेमेज नहीं करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

(दुर्गाप्रसाद मीना)
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 11:52:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner